

पञ्जावली जाल कॅम्प कोर्ट जोधपुरा में पेश हुआ।  
 पञ्जावली का आवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड  
 लाल बन्दी के अगुवार ग्राम जोधपुरा के भूमि खाना  
 523, 524, 525, 526 की खातेदारी (अतिवादी नं.)  
 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। वादीगण स्कैंडल नं.  
 2 नगाथल 8 उक्त वर्जित भूमि के खातेदार दर्ज  
 रिकार्ड नहीं है। धारा 53 के प्रावधान अगुवार  
 स्कैंडल रिकार्ड खातेदार ही अपनी कृषि भूमि का विभा-  
 वरवाने का अधिकारी है। उक्त विवेचन के बाद  
 आधारहीन होने के कारण किया गया उचित  
 उचित होगा है।

आदेश

आदेश आधारहीन होने के कारण किया गया है

पञ्जावली कॅम्पल सुमार होकर नम्बर के काम हो  
 लका इन्सिडल दफ्तर हो।

निर्णय जाल दिनांक 12.6.18 को कॅम्प कोर्ट  
 जोधपुरा में सुकाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
 उदयपुरा (सुनक)